राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांक प. 10 (1) प्र0सु00/अनु–1/2012 जयपुर, दिनांक 30-3-2012

:–परिपत्रः–

यह देखने मे आया है कि राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जो पत्र प्रेषित किये जाते है एवं टिप्पणी/नोट निर्णयार्थ उच्च स्तर पर प्रस्तुत किये जाते है, उन पर प्रायः उनके हस्ताक्षर के नीचे उनका पूरा नाम एवं दिनांक अंकित नही किये जाते है तथा केवल पद नाम ही अंकित कर दिया जाता है, जब किसी कारणवश उनके पद या अन्य विवरण की जानकारी आवश्यक हो अथवा जाँच की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की पहचान नही हो पाती है तथा जिससे जाँच में विलम्ब होता है एवं जाँच प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रशासन के फील्ड कार्यरत कार्मिकों जैसे पटवारी, ग्राम सचिवों के मामले मे इसका और भी गहरा असर होता है।

अतः शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने की दृष्टि से एवं जवाबदेही प्रशासन की धारणा को मूर्तरूप देने के लिए यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं फील्ड में कार्यरत सभी कार्मिक राजकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किसी पत्र, नोट एवं अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें तो अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक एवं अपना पूरा नाम आवश्यक रूप से अंकित करें, जिससे प्रशासन में बेहतर पारदर्शी एवं जवाबदेही स्थापित हो सके।

अन्य कार्मिक जो पत्र/आदेश आदि पर अपने पदनाम की मोहर लगाते है वे अपने नाम की मोहर भी अलग से पदनाम के ऊपर लगा सकते हैं अथवा नाम अंकित कर सकेते है तथा उसके ऊपर अपने दिनांकित हस्ताक्षर कर सकते है।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवों से अपेक्षा की जाती है कि वें अपने अधीनस्थ विभागों/बोर्ड/निगम के अधिकारियों से उपयुर्क्त निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

उक्त निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसी स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(सी.वी.मैथ्यू)
मुख्य सचिव

D:\hari om\m.doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा0मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड़, नई दिल्ली।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
10. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
11. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर–प्रचार प्रसार हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. आर.बी.जैन)
प्रमुख शासन सचिव

29

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर
डायरी क्रमांक 1808
दिनांक 22.2.13

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 15(6) राज/वाद/01

जयपुर दिनांक 14/2/13

:: परिपत्र ::

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.07.09 को संशोधित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर हेतु माननीय महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल, अति0 राजकीय अधिवक्ता/एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल, उप राजकीय अधिवक्ता/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल को निम्नानुसार दरें देय होंगी:-

क्र0 सं0	मद	दिनांक 06.07.09 के अनुसार वर्तमान दरें।	संशोधित दरें।
1	डिक्टेशन एवं टाईपिंग चार्जेज प्रति पृष्ठ	22.00	40.00
2	फोटो स्टेट चार्जेज प्रति पृष्ठ	1.00	1.00
3	वकालतनामा (मय निर्धारित शुल्क एवं अधिवक्ता कल्याण कोष शुल्क के स्टाम्प्स)	50.00	100.00
4	फाईल कवर लैस आदि	50.00	100.00
5	शपथ पत्र प्रमाणीकरण आदि	30.00	50.00
6	निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्ति	100.00	200.00
7	अन्य	20.00	100.00

अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/गवर्नमेंट प्लीडर/एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर को अधिकतम देय राशि रू. 300/-प्रति प्रकरण के अनुसार देय होगी।

शेष शर्तें विभागीय परिपत्र दिनांक 06.07.09 के अनुसार रहेगी।

यह परिपत्र वित्त (व्यय-5) विभाग के आई.डी.संख्या-101300518 दिनांक 13.02.13 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

उक्त दरें परिपत्र जारी होने की दिनांक से प्रभावी होंगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
पत्र प्राप्ति क्रमांक 2713
दिनांक 25/2/13

(पंकज भण्डारी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ट शासन सचिवगण।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर्स।
3. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
4. वित्त (व्यय-5) विभाग को उनकी आई.डी.संख्या 101300518/एफ.डी./ई-5 दिनांक

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 15(12)[illegible] [illegible]

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.10.10 के द्वारा स्लेब 3 के बिन्दु संख्या 4 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि यदि उच्च न्यायालय किसी प्रकरण को महत्वपूर्ण मानते हुए स्वंय के स्तर पर विद्वान महाधिवक्ता को नोटिस देकर उपस्थित होने के लिए निर्देशित करता है तो ऐसे प्रकरणों के लिए विद्वान महाधिवक्ता को 11,000/--रूपये प्रति पेशी (जो कि अधिकतम तीन पेशी के लिए देय होगी) की विशिष्ठ फीस का भुगतान किया जावेगा।

उक्त आदेश के स्लेब के बिन्दु संख्या 4 में आंशिक संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय किसी प्रकरण में स्वंय के स्तर पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता को नोटिस देता है तो अतिरिक्त महाधिवक्ता को भी स्लेब 3 के अन्तर्गत वर्णित विशिष्ठ फीस देय होगी।

अतः उक्त संशोधन के कम में स्लेब 3 के बिन्दु संख्या 4 में "महाधिवक्ता" शब्द के पश्चात् "अतिरिक्त महाधिवक्ता" शब्द जोडा जाता है।

उक्त संशोधन वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101301231/वित्त/व्यय-5/दिनांक 25.03.13 से अनुमोदित है।

ह0
(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त अति0 महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. राजकीय अधिवक्ता/अति0 राजकीय अधिवक्ता/उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
9. गवर्नमेंट काउन्सिल/एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष।
11. समस्त संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी/मुख्य विधि अधिकारी, विधि विभाग।
12. प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर।
14. समस्त लोक अभियोजक।
15. सहायक लेखाधिकारी, राजकीय वादकरण।
16. रक्षित पत्रावली।

15/4
(पंकज भण्डारी)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
अनुभाग–1

क्रमांक प.10(1)प्र.सु./अनु.–1/2012 जयपुर, दिनांक : 24-5-2013

–: परिपत्र :–

राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान जो पत्र/प्रकरण प्रेषित या प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर अंकित टिप्पणी/नोट अथवा पत्रों पर किये जाने वाले हस्ताक्षर के नीचे सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम, तिथि अंकित किये जाने के निर्देश इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.3.2012 एवं 21.02.2013 के द्वारा दिये गये थे।

शासन के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय अधिकारी/कार्मिकों द्वारा इन निर्देशों की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है। शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान लिखे जाने वाले पत्र, नोटशीट आदेश पर अपने दिनांकित हस्ताक्षरों के साथ अपना नाम एवं पदनाम भी अंकित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त अधिकारीगण से यह भी अपेक्षा की जाती है कि राजकीय पत्र व्यवहार करते समय पत्र पर अपने हस्ताक्षर के नीचे तिथि, अधिकारी का नाम, पदनाम अंकित करने के साथ–साथ पत्र के आधार (Bottom) पर पत्र जारी किये जाने वाले कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर, विभागीय वेब–साईट तथा अधिकारी की कार्यालय की ई–मेल आई.डी. भी अंकित की जावे ।

अतः समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं फील्ड में कार्यरत सभी कार्मिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि राजकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किसी टिप्पणी, नोट एवं अन्य दस्तावेज पर जब भी हस्ताक्षर किये जावें तो अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित किया जावे जिन प्रकरणों पर अधिकारी/कर्मचारी के दिनांकित हस्ताक्षर, नाम, पदनाम अंकित नहीं हों उनकी पत्रावलियां उच्च अधिकारी द्वारा स्वीकार न की जाकर सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक को लौटाने की प्रक्रिया अपनाई जावे । दिनांकित हस्ताक्षर के नीचे नाम व पदनाम की मोहर भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जारी किये जाने वाले पत्र पर अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे तिथि, अधिकारी का नाम, पदनाम अंकित करने के साथ–साथ पत्र के आधार (Bottom) पर पत्र जारी किये जाने वाले कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर, विभागीय वेब–साईट तथा अधिकारी की कार्यालय की ई–मेल आई.डी. भी अंकित की जावे, जिससे शासन तंत्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

उक्त निर्देशों की पालना समस्त राजकीय विभाग/कार्यालय/बोर्ड/निगम/आयोग में सुनिश्चित की जावे। निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

(सी. के. मैथ्यू) 24/5/13
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–
1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिलाध्यक्ष।
8. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक।
9. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
10. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
11. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसारार्थ।
12. रक्षित पत्रावली।

(सी. एम. मीना)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

29.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

File.No.15 (24)Raj/Vad/91 Jaipur,dated:- 22-07-13

Order

In partial modification of order no.F.15(24)Raj/Vad/91 dated 19/3/2010, the fee for contested contempt proceedings before the Supreme Court & High Court, shall stand revised as under :-

"In Sr.no(i) of order dated 19/3/2010, amount of Rs.1000/- for contested contempt proceedings before the Supreme Court / High Court, shall be substituted by Rs.5000/-"

This order is being issued in concurrence with finance Department ID no.101302604 dated 14/06/2013.

(Prakash Gupta)
Principal Secretary, Law

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary to HE Governor Rajasthan, Jaipur
2. PS to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur
3. PS to Hon'ble Law Minister, Rajasthan, Jaipur
4. PS to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
5. All Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
6. Advocate General, Rajasthan , Jaipur
7. All Addl.Advocate General, Rajasthan, Jodhpur/Jaipur
8. Government Advocate/ Addl.Government Advocate/Deputy Government Advocate/ Asstt. Government Advocate/ Government Counsel/ Addl. Government Counsel/ Deputy Government Counsel, Rajasthan High Court, Bench Jaipur/Jodhpur.
9. All Head of the Department, Rajasthan
10. All Joint Legal Remembrancer/ Deputy Legal Remembrancer/ Asstt. Legal Remembrancer/ Head Legal Assistants of the Law Department.
11. Administrator Litigation Jaipur/Jodhpur
12. All Districts Magistrates
13. All Public Prosecutors
14. AAO, Law Department
15. Guard file.

(R.M.Chaturvedi)
Law Secretary

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

File.No.15 (12)Raj/Vad/06 Jaipur, dated:- 22-07-13

30 JUL 2013

Order

In partial modification of order no.F.15(12)Raj/Vad/06 dated 26/10/2010, the ceiling limit of special fee, where AG is required to appear, before the Hon'ble Supreme Court or any other High Court out side the State of Rajasthan or before the Principal Seat of Rajasthan High Court, Jodhpur and fee for legal opinion shall stand revised as under ;-

(1) In Sr.no.5 of Slab 1 of Part C of order dated 26/10/2010 where the AG is required to appear in a case in the Supreme Court of India the payment of special fee of Rs.33000/- per effective hearing shall be subject to a ceiling 7 hearings in place of existing 3 hearings.

(2) In Sr.no.3 of slab 2 of part C of order dated 26/10/2010, where the AG is required to appear in a case in any other High Court out side the State of Rajasthan, the payment of special fee of Rs.22000/- per effective hearing shall be subject to a ceiling 7 hearings in place of existing 3 hearings.

(3) After Sr.no.8 in slab 3 of part C of order dated 26/10/2010, the following shall be inserted:-

> "9. where the AG is required to appear in a case in the Rajasthan High Court, Jodhpur the payment of special fee of Rs.11000/- per effective hearing is payable subject to a ceiling 7 hearings"

(4) In part F of order dated 26/10/2010 the amount of Rs.500/- is substituted by Rs.1500/- and the amount of Rs.400/- is substituted by Rs.1000/-

This order is being issued in concurrence with finance Department ID no.101302604 dated 14/06/2013.

(Prakash Gupta)
Principal Secretary, Law

10988
3/7/13

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary to HE Governor Rajasthan, Jaipur
2. PS to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur
3. PS to Hon'ble Law Minister, Rajasthan, Jaipur
4. PS to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur
5. All Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
6. Advocate General, Rajasthan , Jaipur

7. All Addl.Advocate General, Rajasthan, Jodhpur/Jaipur
8. Government Advocate/ Addl.Government Advocate/Deputy Government Advocate/ Asstt. Government Advocate/ Government Counsel/ Addl. Government Counsel/ Deputy Government Counsel, Rajasthan High Court, Bench Jaipur/Jodhpur.
9. All Head of the Department, Rajasthan
10. All Joint Legal Remembrancer/ Deputy Legal Remembrancer/ Asstt. Legal Remembrancer/ Head Legal Assistants of the Law Department.
11. Administrator Litigation Jaipur/Jodhpur
12. All Districts Magistrates
13. All Public Prosecutors
14. AAO, Law Department
15. Guard file.

(R.M.Chaturvedi)
Law Secretary

वरिष्ठ विधि अधिकारी
चिकित्सा शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 15 (12) राज/वाद/06 जयपुर दिनांक: 24-2-15

:: आदेश ::

ऐसे प्रकरणों/याचिकाओं में जहॉ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीधे ही महाधिवक्ता/अति0 महाधिवक्ता को पैरवी हेतु नोटिस जारी किए जाते है, ऐसे समस्त प्रकरणों में विधि विभाग के स्तर से उनकी नियुक्ति व पैरवी निर्देश पृथक से जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा आदेश दिनाक 26.10.10 के भाग–सी के स्लेब–3 के बिन्दु संख्या–4 के अनुसार विधि विभाग की Deemed Sanction मानी जावेगी।

आज्ञा से

ह0
(गोवर्धन बाढ़दार)
शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्त, जयपुर/जोधपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

24.2.15
(धर्मदत्त शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव,विधि

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

No. F. 15(12) Raj/Vad/2006

Jaipur, Dated: 22-09-15

ORDER

In partial modification to the order of even No. dated 26-10-2010 the rates of monthly retainership, Appearance fee and special fee payable to Advocate General and Additional Advocate General, shall stand revised from the date of issuance of this order:

(A). Remuneration/ Retainership –

1. Advocate General — 42000/- p.m. (Fixed)
2. Additional Advocate General — 33600/- p.m. (Fixed)

The above mentioned remuneration/retainership shall liable to be enhanced @ 10% every year with effect from Financial Year 2016-17.

(B). Appearance Fees –

1. Advocate General:

₹ 2200/- per day up to five listed cases, but if the number of cases listed per day exceeds 5, then additional fees @ 600/- per case for the cases exceeding five shall be paid but in no case a total fees of more than ₹ 6000/- per day shall be paid.

2. Additional Advocate General:

₹ 1750/- per day up to five listed cases, but if the number of cases listed per day exceeds 5, then additional fees @ 430/- per case for the cases exceeding five shall be paid but in no case a total fees of more than ₹ 3500/- per day shall be paid.

(C). Special Appearance Fees in special cases:

(1) Advocate General

Slab 1:-

₹ 51000/- per effective hearing subject to a ceiling of 3 hearings, but where the Advocate General is required to appear in a case in the Supreme Court of India, Special fee of ₹ 51000/- per effective hearing shall be subject to a ceiling of 7 hearings.

Slab 2:-

₹ 34000/- per effective hearing subject to a ceiling of 3 hearings, but where the Advocate General is required to appear in a case in any other High Court out side the State of Rajasthan, Special fee of ₹ 34000/- per effective hearing shall be subject to a ceiling of 7 hearings.

Slab 3:-

₹ 17000/- per effective hearing subject to a ceiling of 3 hearings, but where the Advocate General is required to appear in a case in the Rajasthan High Court, Jodhpur, Special fee of ₹ 17000/- per effective hearing shall be subject to a ceiling of 7.

(2) Additional Advocate General–

Slab 1:-

₹ 51000/- per effective hearing subject to a ceiling of 3 hearings.

Slab 2:-

₹ 34000/- per effective hearing subject to a ceiling of 3 hearings.

Slab 3:-

₹ 17000/- per effective hearing subject to a ceiling of 3 hearings.

All other existing conditions in the order dated 26-10-2010 and other orders issued in pursuance there of shall remain unchanged.

This order is being issued in concurrence with Finance Department ID No. 101502086 Dated 17-09-15.

Sd/-
(Deepak Maheshwari)
Principal Secretary, Law

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Secretary to HE Governer Rajasthan, Jaipur.
2. PS to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. PS to Hon'ble Law Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. PS to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
5. All Principal Secretaries/ Secretaries/ Special Secretaries to the Government.
6. Advocate General, Rajasthan, Jaipur.
7. All Addl. Advocate General, Rajasthan, Jodhpur/Jaipur.
8. All Head of the Department, Rajasthan
9. All Joint Legal Remembrancer/ Deputy Legal Remembrancer/ Asstt. Legal Remembrancer/ Senior Law Officer/ Junior Officer of the Law Department.
10. Administrator Litigation, Jodhpur/Jaipur.
11. All District Magistrates.
12. AAO, Law Department.
13. Guard File.

22.9.15

(Goverdhan Bardhar)
Law Secretary

(C) Special appearance fees in special cases to AG/AAG

Slab 1: - (Rs. 33,000/- per effective hearing subject to a ceiling of 3 hearings)

1. Cases in which complicated questions of law and financial stakes more than 20 crores are involved,
2. Where by a writ of quo-warrant or any other writ, statutory office or elected office of Chairperson or high dignitary is under challenge,
3. Where the validity of Act is under challenge,
4. Where the policy of the State is under challenge,
5. Where the AG is required to appear in a case in the Supreme Court of India.

Slab 2:- (Rs. 22,000/- per effective hearing subject to a ceiling of 3 hearings)

1. Cases in which complicated questions of law and financial stakes of 10 crores or more than 10 crores but not more than 20 crores are involved,
2. Where the validity of Rules is under challenge,
3. Where the AG is required to appear in a case in any other High Court outside the State of Rajasthan.

Slab 3:- (Rs. 11,000/- per effective hearing subject to a ceiling of 3 hearings)

1. Cases in which complicated questions of law and financial stakes of 2 crores or more than 2 crores but not more than 10 crores are involved,
2. Where the validity of Notification is under challenge,
3. Where in civil cases of high valuation, complicated questions of law are involved,
4. Where the High Court itself considers a case of importance and suomoto gives notice to the AG to appear before it,
5. Public Interest Litigation of public importance,
6. Election petitions relating to MLA /MP,
7. Criminal cases affecting the public conscience at large,
8. Bunch Case in which more than 10 cases are bunched together.

Proposals for the sanction of special fees, as per the norms mentioned above, shall be sent by the AD in the format prescribed by Law Department.

No fees in excess of the prescribed norms shall be proposed by the AD as special fees.

Hon'ble Minister of Law shall be the competent Authority to sanction the special fees as per above mentioned slabs.

Except in exceptional circumstances, ordinarily not more than five cases on special fees to AG and three cases on special fees to each AAG shall be assigned in one month.

Special appearance fee in special case shall be paid by the Law Department on Submission of duly Verified Bill by the Concerned AD.

30.

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 15 (24) राज/वाद/91 जयपुर, दिनांक: 8-2-11

महाधिवक्ता,
राजस्थान जयपुर।

2. अतिरिक्त महाधिवक्तागण,
जयपुर/ जोधपुर।

3. प्रशासक वादकरण/राजकीय अधिवक्ता/
गवर्नमेन्ट काउन्सिलगण,
जयपुर/ जोधपुर।

विषय :– अवमानना प्रकरणों में फीस के संबंध में।

संदर्भ :– प्रशासक वाकदरण जयपुर का पत्र कमांक 72 दिनांक 19.01.11

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर बैंच के समक्ष अवमानना प्रकरणों में की गई पैरवी हेतु संबंधित विधि अधिकारीगण को इस विभाग के आदेश दिनांक 19.03.10 के अनुसार निर्धारित फीस का भुगतान संबंधित महाधिवक्ता कार्यालय/प्रशासक वादकरण जयपुर/ जोधपुर द्वारा किया जावेगा। अवमानना प्रकरणों मे जवाब तैयार कराने हेतु टंकण इत्यादि का भुगतान संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जावेगा।

भवदीय्

संयुक्त विधि परामर्शी एवं अपर निदेशक
(राजकीय वादकरण)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 12(2) राज/वाद/14पार्ट जयपुर, दिनांक 26-4-16

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.09.14 एंव 17.11.15 द्वारा श्री ब्रहम्मा नन्द सांदू एंव श्री शिव कुमार व्यास, राजकीय अधिवक्ता एंव अपर लोक अभियोजक का पदनाम राजकीय अधिवक्ता एंव अपर लोक अभियोजक मय अतिरिक्त महाधिवक्ता किया जाकर इन्हे ड्राफटिंग एंव सेटलिंग चार्जेज तथा उच्च न्यायालय में प्रतिदिन लगने वाले प्रकरणों में उपस्थिति फीस इंस विभाग के आदेश कमांक प.15(12)राज/वाद/06 दिनांक 26.10.10 एंव दिनांक 04.09.12 के अनुसार दिये जाने की अनुमति प्रदत्त की गई थी।

उक्त आदेश दिनांक 26.10.10 एंव 04.09.12 को आदेश दिनांक 22.09.15 द्वारा संशोधित किये जाने के फलस्वरूप श्री ब्रहम्मा नन्द सांदू एंव श्री शिव कुमार व्यास, राजकीय अधिवक्ता एंव अपर लोक अभियोजक मय अतिरिक्त महाधिवक्ता को ड्राफटिंग एंव सेटलिंग चार्जेज तथा उच्च न्यायालय में प्रतिदिन लगने वाले प्रकरणों में उपस्थिति फीस इस विभाग के आदेश दिनांक 22.09.15 में वर्णितानुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता के समकक्ष दिये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

SSME
9.5.16

(धर्मदत्त शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव/विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी, माननीय विधिमंत्री।
3. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
4. महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर/जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार प्रशासन, राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेन्ट काउन्सिल/प्रशासक वादकरण, जयपुर / जोधपुर।
7. सबंधित राजकीय अधिवक्ता एंव अपर लोक अभियोजक मय अतिरिक्त महाधिवक्ता जयपुर /जोधपुर।
8. समस्त उप विधि परामर्शी, विधि विभाग/विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
9. लेखा शाखा, विधि (वादकरण) विभाग जयपुर
10. रक्षित पत्रावली।

circulate to all PMHs as well as
23/5/16

26.4.2016
(धर्मदत्त शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर 17/5/2016

कमांकः प.5 (विविध)चि.शि.नि/विधि/2016/3475 दिनांकः मई 2016

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतुः-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, झालावाड।
2. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, दंत चिकित्सा विज्ञान महाविधालय, जयपुर।

अति0 निदेशक (प्रशा0)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प0 12(15)राज/वाद/08,पार्ट-I जयपुर, दिनांक 27-4-16

:: आदेश ::

इस विभाग के आदेश क्रमांक प0 15(12)राज/वाद/06, दिनांक 18.11.15 द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूलन, सर्किट ब्रांच, जोधपुर में विचाराधीन/प्रस्तुत होने वाले राजस्थान राज्य के प्रकरणों की पैरवी हेतु श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर को आदेश में वर्णित फीस स्ट्रक्चर पर नियुक्त/अधिकृत किया गया था तथा उक्त आदेश में उनके जूनियर अधिवक्ता श्री सज्जन सिंह राठौड को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूलन, सर्किट ब्रांच, जोधपुर में प्रतिदिन लगने वाले प्रत्येक प्रकरणों में 550/-रूपये फीस दिये जाने का उल्लेख किया गया था।

अतः श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर व उनके जूनियर अधिवक्ता श्री सज्जन सिंह राठौड को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्किट ब्रांच, जोधपुर के समक्ष पैरवी करने के लिए फीस का भुगतान संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा संदाय किया जावेगा।

आज्ञा से,

-Sd-
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. सचिव/विशेषाधिकारी(एस)माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री।
3. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष।
4. रजिस्ट्रार, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्किट ब्रांच, जोधपुर।
5. श्री पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, अति0 महाधिवक्ता, जोधपुर।
6. अधिकरण शाखा, विधि प्रकोष्ठ, विधि विभाग।
7. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर/जोधपुर/जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

27.4.2016

(धर्मदत्त शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, विधि

SSME 9.5.16

23/5/16 Circulate to all PMCs as well as Regi RUHS

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर

क्रमांकः प.5 (विविध)चि.शि.नि/विधि/2016/3476 दिनांकः 17/5/2016 मई 2016

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतुः-
1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, झालावाड।
2. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, दंत चिकित्सा विज्ञान महाविधालय, जयपुर।

अति0 निदेशक (प्रशा0)

(8)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(4) राज/वाद/88 पार्ट जयपुर दिनांक 29-4-16

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्‌भूत राजस्थान राज्य के सभी प्रकरणो की पैरवी करने एवं प्रस्तुत करने के लिए श्री नलिन कोहली अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली के नव सृजित पद पर नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता को रू0 22,400/- (अक्षरे बाईस हजार चार सौ रूपये) प्रतिमाह रिटेनरशिप देय होगी।
2. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार वादकरण के मामलों हेतु उनके द्वारा उपगत सभी अनुशंगिक व्यय का नियमानुसार पुनर्भरण प्राप्त करने के अधिकारी होगें।
3. उन्हे मासिक प्रतिधारण (रिटेनरशिप)के अलावा राजकीय वादकरण के प्रकरणों में पैरवी करने/प्रस्तुतीकरण एवं बहस आदि की फीस तथा प्रारूपण फीस इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.06.15 के अनुसार देय होगी।
4. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समय-समय पर राज्य सरकार के विरूद्ध लगने वाले मामलों की तथा जारी होने वाले आदेशों की सूचना तत्काल राज्य सरकार को देगें।
5. वे समय-समय पर उन्हे दी गई अग्रिम धनराशि का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होगें।
6. वे निम्नलिखित कार्यो/बातों के लिये विवर्जित (Debar) होगें:-
   - (क) राजस्थान राज्य के विरूद्ध सलाह देने अथवा मुकदमा लेने से,
   - (ख) राजस्थान राज्य के फौजदारी मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा करने में, एंव
   - (ग) निजी पक्षकारों को /पार्टियों को उन मामलों में, जिनमें उनके राजस्थान राज्य की और से उपस्थिति होने की सम्भावना हो, सलाह देने से।
7. वे ऐसे आदेशों से भी बाध्य होगें, जो समय-समय पर उनकी नियुक्ति के संबंध में जारी किये जावेंगे।
8. अतिरिक्त महाधिवक्ता को टेलीफोन सुविधा अन्य अतिरिक्त महाधिवक्ता को प्रदत्तानुसार देय होगी।

circulate to all PHCs as well as Regi. RUHS 13/05/16

आज्ञा से,

हस्ता0

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी(एस), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव एंव विशिष्ठ शासन सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/सचिव राज0 विधान सभा, जयपुर/सचिव, लोकायुक्त, जयपुर/निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
5. समस्त जिला एंव सैशन न्यायाधीश, राजस्थान।
6. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर/महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
7. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर/समस्त अति0 महाधिवक्ता,जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
09. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
10. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम, नई दिल्ली।
11. श्री नलिन कोहली, अधिवक्ता, 2017, सी.के दफ्तरी चैम्बर्स ब्लॉक, तिलक लेन, नई दिल्ली।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ/विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
14. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
15. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
16. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर एंव समस्त अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
17. समस्त गवर्नमेन्ट काउन्सिल/एडि0 गवर्नमेन्ट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
18. आहरण एंव वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वादकरण, जयपुर।
19. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

29.4.16

(अनूप कुमार सक्सेना)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर 17/5/2016
कमांक: प.5 (विविध)चि.शि.नि/विधि/2016/3477 दिनांक: मई 2016

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु:–

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, झालावाड।
2. कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, कुम्भा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, दंत चिकित्सा विज्ञान महाविधालय, जयपुर।

अति0 निदेशक (प्रशा0)

22
21.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT
(State Litigation)

File No.F.15(12)Raj/Vad/2006

Jaipur,dated. 21.07.16

ORDER

In partial modification to the order of even number dated 26/10/2010, the number of special cases assigned to Advocate General in one month is hereby enhanced from 5 cases to 7 cases and that of Addl.Advocate Generals from 3 cases to 5 cases, from the date of issuance of this order, subject to the Quarterly Review performance of the Additional Advocate Generals.

This order is being issued in concurrence with Finance Department ID No.10162748 dated 12/07/2016.

By order

Sd/-
(Manoj Kumar Vyas)
Pr. Secretary Law and Legal Affairs
Department and Legal Remembrancer
Government of Rajasthan, Jaipur

Copy forwarded for information and necessary Action to:-

1. The Secretary to HE Governor of Rajasthan, Jaipur
2. PS to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur
3. PS to Hon'ble Law Minister, Rajasthan. Jaipur
4. PS to Hon'ble Chief Secretary, Rajasthan. Jaipur
5. All Principal Secretary/ Secretary/ Special Secretary to the Government of Rajasthan.
6. Advocate General Rajasthan, Jaipur
7. All Addl. Advocate General Rajasthan, Jodhpur/ Jaipur.
8. All the Head of Department, Rajasthan
9. All Joint Legal Remembrancer/ Dy. Legal Remembrancer/ Assistant Legal Remembrancer/ Head Legal Assistants of the Law Department.
10. Administrator Litigation Jaipur/Jodhpur
11. All District Magistrates.
12. AAO, Law Department.
13. Guard file.

21.7.16

(Anoop Kumar Saxena)
Secretary, Law

Government of Rajasthan
Law And Legal Affairs Department
(State Litigation)

No.F15(12)raj/vad/06 pt **Jaipur, Dated 21.11.16**

Order

In continuation of order of even nuinber dated 22-09-15, wherein provision has been made for the increase of remuneration/retainership of Additional Advocate Generals @10% every year and order of even number dated 21-07-16, whereby the cap/limit of special cases assigned to Advocate General has been enhanced from 5 cases to 7 cases and that of Additional Advocate General from 3 cases to 5 cases in a month, subject to quarterly Review performance of the Additional Advocate Generals. The State Government hereby constitutes a committee to review the performance of the Additional Advocate Generals on quarterly basis for the above mentioned purpose comprising:-

1. Chief Secretary - Chairperson
2. Advocate General - Member
3. Principal Secretary Law - Member
4. Secretary Law - Member Secretary

The committee shall hold its meeting on quarterly basis and if the services of any of the Additional Advocate General is not found satisfactory the matter shall be placed before appropriate authority for the termination of his service

By Order

Sd/-
(Anoop Kumar Saxena)
Secretary Law

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
2. PS to Hon'ble Law Minister.
3. PS to Advocate General.
4. All Additional Advocate Generals, Jodhpur/Jaipur.
5. PS to Chief Secretary.
6. PS to Principal Secretary, Finance.
7. Principal Secretary Department of Personnel.
8. PS to Principal Secretary, Law.
9. PS to Secretary, Law.
10. Guard File.

21.11.16

(Anoop Kumar Saxena)
Secretary Law

2

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

File No. 15(12)Raj/Vad/06

Jaipur, dated:- 19.6.17

Order

In partial modification of order No. F.15(12)Raj/Vad/06, dated 22.09.15, the ceiling limit of special fee, where AG is required to appear, before the Hon'ble Supreme Court or any other High Court out side the State of Rajasthan or before the principal Seat of Rajasthan High Court, Jodhpur shall stand revised from the date of issuance of this order as under:-

Slab	Rates agreed by FD
Slab-1	a) 51000/-per effective hearing subject to a ceiling of 4 hearings but where Advocate General is required to appear in a case in the Supreme Court of India, Special fee of 51000/- per effective hearing subject to a ceiling of 7 hearings.
Slab-2	34000/-per effective hearing subject to a ceiling of 4 hearings but where Advocate General is required to appear in a case in any other High Court outside the State of Rajasthan, Special fee of 34000/- per effective hearing subject to a ceiling of 7 hearings.
Slab-3	17000/-per effective hearing subject to a ceiling of 4 hearings but where Advocate General is required to appear in a case in the Rajasthan High Court, Jodhpur, Special fee 17000/- per effective hearing subject to a ceiling of 7 hearings.

All other existing conditions will remain unchanged.

This order is being issued in concurrence with finance Departments ID No.101701920 dated 01.06.17

Read today at 4.40 pm 20.6.2017

Sd-
(Manoj Kumar Vyas)
Principal Secretary, Law

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary to HE Governor Rajasthan, Jaipur
2. PS to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan Jaipur
3. PS to Hon'ble Law Minister, Rajasthan Jaipur
4. PS to Chief Secretary, Rajasthan Jaipur
5. All Principal Secretaries/ Secretaries/Special Secretaries to the Government.
6. Advocate General, Rajasthan Jaipur
7. All Head of the Department, Rajasthan
8. All Sr.Joint Legal Remembrancer/Joint Legal Remembrancer/Deputy Legal Remembrancer/Asst. Legal Remembrancer/S.L.O/J.L.O/Programmer Law & Legal Affairs Department
9. Administrator Litigation, Jaipur/Jodhpur
10. All Districts Magistrates
11. AAO, Law (Litigation) Department
12. Guard file.

19.6.17
(Ashutosh Kumar Mishra)
Law Secretary

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(9)न्याय/2017 जयपुर, दिनांक 5.10.17

:: परिपत्र ::

सभी विभागों में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी मोनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभागों में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की नियमित समीक्षा एवं मोनिटरिंग के लिए प्रकरणों की संख्या के अनुरूप निर्धारित मापदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार राजस्थान विधि सेवा के सहायक विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी एवं अन्य पदों के पुनर्गठन/सृजन के संबंध में पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भिजवाए जाने है। इसके लिए निम्न सूचना इस विभाग में (हार्ड कॉपी) एवं विभागीय ई–मेल आई.डी. law.dept@rajasthan.gov.in (सॉफ्ट कॉपी) इस विभाग को 15 दिवस में भिजवाने का श्रम करें:–

1. विधायी प्रारूपण संबंधी कार्यों की संख्या तथा औचित्य (अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं उपनियमों आदि के प्रारूपण एवं उनमें संशोधन आदि का प्रारूप बनाना)
2. विधिक मामलों का परीक्षण एवं परामर्शी संबंधी कार्यों की संख्या।
3. निम्न वादकरण संबंधी प्रकरणों की संख्या एवं निर्धारित मापदण्डः–
   A. नोटिस, याचिका, जवाबदावें इत्यादि का परीक्षण एवं परामर्श
   B. अपीलीय मामले एवं निर्णय आदि का परीक्षण एवं परामर्श
   C. विभागीय विशिष्ट विधिक कार्य।
4. विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों यथा वाद एवं अवमानना के प्रकरणों की संख्या एवं निर्धारित मापदण्ड।

05/10/17

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद/ समस्त निदेशक/समस्त विभाग
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

05-10-17

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव